

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 158/2019

वादीगण

1 दलाराम 2 वीराराम
3 हड़ूताराम 4 केसाराम
पिसरान हुकमाराम
जाति कुम्हार निवासी
नारणोणियों की ढाणी,
भाड़खा तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण

1 हुकमाराम पुत्र भोपाराम 2 सवाईराम 3 सगताराम 4
ताजाराम 5 अनुपकुमार पिसरान खंगारराम 6 गेरोंदेवी पत्नी
खंगारराम 7 लीलाराम पुत्र भोपाराम 8 खेताराम 9 बंशी
पिसरान नरसिंगाराम 10 जतु पत्नी नरसिंगाराम 11
सुजाराम पुत्र प्रतापाराम 12 तीजा पत्नी प्रतापाराम 13
खुमाणाराम 14 रमेश पिसरान तुलछाराम 15 कमला पत्नी
तुलछाराम 16 शंकरराम 17 हनुमानराम 18 बाबू पिसरान
वालाराम 19 जेताराम 20 जगदीश 21 टीकमाराम पिसरान
पेमाराम 22 शंकराराम 23 मांगीलाल 24 तेजा पिसरान
भेराराम 25 जमनादेवी पत्नी भेराराम जाति कुम्हार निवासी
नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री भोमाराम सियाग वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 22-10-19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 25 स्वर्गीय भीखाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 हुकमाराम के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 25 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 36 रकबा 43.02 बीघा, खसरा संख्या 54 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 148/55 रकबा 259.00 बीघा कुल रकबा 303.18 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 25 का कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का कुल 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 08 से 25 का कुल 1/2 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/30-1/30 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 हुकमाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 36 रकबा 43.02 बीघा, खसरा संख्या 54 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 148/55 रकबा 259.00 बीघा कुल रकबा 303.18 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/30-1/30 हिस्सा निहित होने से खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली

जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त

सहायक कलक्टर

(SDO) बाड़मेर

पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

वादी संख्या 01 दलाराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 हुकमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 हुकमाराम के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 हुकमाराम के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जामबन्दी सम्बत् 2012 से 2031 व सम्बत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 36 रकबा 43.02 बीघा, खसरा संख्या 54 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 148/55 रकबा 259.00 बीघा कुल रकबा 303.18 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/30-1/30 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 22-10-19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाडमेर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री
अनवान

वादीगण

1 दलाराम 2 वीराराम 3 हड़ताराम 4 केसाराम पिसरान हुकमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण

1 हुकमाराम पुत्र भोपाराम 2 सवाईराम 3 सगताराम 4 ताजाराम 5 अनुपकुमार पिसरान खंगारराम 6 गेरोंदेवी पत्नी खंगारराम 7 लीलाराम पुत्र भोपाराम 8 खेताराम 9 बंशी पिसरान नरसिंगाराम 10 जतु पत्नी नरसिंगाराम 11 सुजाराम पुत्र प्रतापाराम 12 तीजा पत्नी प्रतापाराम 13 खुमाणाराम 14 रमेश पिसरान तुलछाराम 15 कमला पत्नी तुलछाराम 16 शंकरराम 17 हनुमानराम 18 बाबू पिसरान वालाराम 19 जेताराम 20 जगदीश 21 टीकमाराम पिसरान पेमाराम 22 शंकरराम 23 मांगीलाल 24 तेजा पिसरान भेराराम 25 जमनादेवी पत्नी भेराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 158/2019

निर्णय दिनांक :- 22-10-19

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 36 रकबा 43.02 बीघा, खसरा संख्या 54 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 148/55 रकबा 259.00 बीघा कुल रकबा 303.18 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/30-1/30 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 22-10-19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
(S.D.O.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	